जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-18.02.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शिवविहार कालोनी में जानलेवा हमला करने की घटना का अनावरण करते हुए घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर अवैध हथियार व खोखा कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला शिव विहार कालोनी कैराना रोड़ जनपद शामली अपने परिवार के साथ रहता है। दिनांक 06.02.2025 की रात्रि मे ज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके घर पर अवैध अस्लाह से फायरिंग की थी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार के लोगों ने जाकर देखा तो उनके उपर भी फायरिंग की गई थी। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

दिनांक 17.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने की घटना का अनावरण करते हुए घटना में लिप्त/वांछित 01 अभियुक्त को सिंभालका अंडर पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार व खोखा कारतूस बरामद किये गये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्वेश्यः- घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त तुषार ने बताया कि मै वर्ष 2018 में अपने मौसी नीलू पत्नी ऋषिदेव निवासी जाट कालोनी थाना कोतवाली शामली के यहां रहकर पढ रहा था मेरी दोस्ती शुभम सिंधु पुत्र जितेन्द्र निवासी जाट कालोनी से हो गयी थी। कुल समय पूर्व शुभम व निशू जो जितेन्द्र कुमार का भतीजा है।कि आपस में एक शादी के दौरान कहासुनी हो गई थी। इसी बात का बदला लेने के उद्वेश्य से हम लोगों द्वारा हमला करने की योजना बनायी गई थी। दिनांकः 06.02.2025 को हमारे परिवार की एक लडकी निशी की शादी शशि बैंक्वेट हाल जानसठ रोड मुजफ्फरनगर में थी मै भी शादी में गया था। मेरे मोबाइल पर शुभम सिंधु की रात को करीब 12.30 बजे काल आई और उसने कहा कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ एक आदमी का काम तमाम करना है। योजनानुसार समय करीब 1 बजे रात में शुभम सिंधु अपनी बलेनो कार लेकर मुझे लेने आ गया। हम कार से बनत चौराहे पर आये कार को वहीं होटल के पास खडा कर दिया। कुछ देर बाद शुभम के तीन दोस्त भी वहा आ गये। हम पांचो शिव विहार कालोनी में नीशू के घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग की । फायरिंग होने पर नीशू के परिवार वाले छत पर आ गये थे और उन्होने शोर मचा दिया तो हम सभी लोग मोटरसाईकिलों पर बैठकर भाग गये थे। अभियुक्तों द्वारा नीशू व शुभम के बीच पूर्व में हुई कहासुनी/विवाद का बदला लेने के उद्वेश्य से घटना घटित की गई है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.तुषार पुत्र मनोज निवासी ग्राम मखियाली थाना मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस(नाल में फसा हुआ)।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दो व्यक्तियों के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

ज्ञात हो कि दिनांक 10.01.2025 को श्री अमित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली द्वारा अपने पिता व भाई के साथ मारपीट कर घायल करने वालों के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दो व्यक्तियों के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अनुज पुत्र श्रीपाल उर्फ मुनीम निवासी मौहल्ला सती वाला मन्दिर मौहल्ला पन्सारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस/अपराध शाखा द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाकर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 10.06.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के

आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की विवेचना अपराध शाखा जनपद शामली के द्वारा की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस/अपराध शाखा द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाकर नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोहित कुमार संगल पुत्र नरेश चन्द्र संगल निवासी मौहल्ला फव्वारा चौक काम्बोज वाली गली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.निरीक्षक श्री सतीश कुमार अपराध शाखा जनपद शामली।

2.का0 शौकीन्द्र भाटी अपराध शाखा जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आसिफ पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला मंडी भास्कर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध चाकू।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 27 पव्वे देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 27 पव्वे देशी शराब यूपी (मार्का) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अबरार पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 27 पव्वे यूपी (मार्का)।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 किलो 310 ग्राम डोड़ा चूर्ण बरामदः-

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को बिडौली चौसाना मार्ग के पास से अवैध 05 किलो 310 ग्राम डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.जूबैर पुत्र हारून निवासी ग्राम सीगरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) 05 किलो 310 ग्राम।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इंतजार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध स्मैक बरामदः-

दिनांक 17.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्करों को अवैध 13 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अरशद उर्फ काला पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध 13 ग्राम स्मैक।

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विकास पुत्र राजेन्द्र निवासी नई बस्ती माजरा रोड़ थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग, पथराव करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 28.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में दो पक्षो ने एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व पथराव करने की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.वैसर उर्फ बुद्धू पुत्र साजिद निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जानिब पुत्र राशिद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध चाकू।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अभियान के अन्तर्गत, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

दिनांक को 29.10.2017 को असलम पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला जोगियान थाना थानाभवन ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण 1. उस्मान पुत्र शमशाद 2. सोनू पुत्र उमरद्दीन निवासीगण मौहल्ला जोगियान थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 637/17 धारा 363/376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अभियुक्त उस्मान व सोनू को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध समस्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को जनपद शामली पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल जज प्रथम पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उस्मान को धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास सजा व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व अभियुक्तगण उस्मान व सोनू को धारा 363 भादवि मे 05 -05 वर्ष के कारावास की सजा व 5000-5000- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा की सजा का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गौ हत्या अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 1992 में अभियुक्त अकरम पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला अकबराबाद कस्बा व थाना बिजनौर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 280/1992 धारा 5क(10)/8 गौवद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजोएसडी/सीजेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त अकरम उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।